मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः–21 / 2017

1. श्रीमति चन्द्रवाला पत्नि रामचन्द्र जी जाति प्रजापत निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

–– वादीया

बनाम

1. श्री रामनारायणदास पिता हीरादास जी जाति वेरागी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
2. सत्यनारायणदास पिता हीरादास जी जाति वेरागी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
3. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांकः–15.07.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता वादी श्री बाबुलाल पालीवाल मिनजानिब मुदइ व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पप्पुलाल वैष्णव मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री की जाती है कि मौजा जलोदा जागीर पटवार हल्का जलोदा जागीर की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे. मे से प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से 0.01 हे. आराजी का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे. मे से 0.01 हैक्ट0 पर प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 के नाम विलोपित कर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–21/2017

1. श्रीमति चन्द्रबाला पत्नि रामचन्द्र जी जाति प्रजापत निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

–– वादीया

बनाम

1. श्री रामनारायणदास पिता हीरादास जी जाति वेरागी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
2. सत्यनारायणदास पिता हीरादास जी जाति वेरागी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
3. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री बाबुलाल पालीवाल– अभिभाषक वादीया

श्री पप्पु वैष्णव – अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 15.07.2021

1. वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. वाके मौजा जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.11 हे. मे से 0.01 हे. को अपने नाम घोषित कराने एवं इन्द्राज दुरस्ती कराने बाबत पेश किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैकि वाके मोजा जलोदाजागीर प. ह. जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी मे आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.11 हे. स्थित होकर वादिया द्वारा दिनांक 9.6.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 0.01 हे. आराजियात रामचन्द्री पत्नि हीरादास वेरागी से खरीद की थी एवं खरीद के बाद से ही वादिया का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा तथा उपयोग उपभोग मे चली आ रही है रामचन्द्री पत्नि हीरादास का देहान्त हो जाने के कारण विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकित हो गई

एवं वादिया के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अंकन होना रह गई जिस बाबत वादिया द्वारा वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का पेश कर विवादित आराजियात को अपने नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित कराने बाबत पेश किया गया है।

2. वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री पप्पु वेष्णव द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाबदावा हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के वाद पत्र मे अंकित तथ्यो से इंकार किया गया तथा यह उल्लेखित किया गया कि विवादित आराजियात विरासत से प्राप्त होकर प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है वादिया का उक्त आराजी पर कब्जा नही होकर वादिया का वाद खारिज योग्य है एवं वादिया विवादित आराजी को अपने नाम घोषित कराने एवं इन्द्राज दुरस्ती कराने की अधिकारी नही है।

3. उभयपक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्नाकित विवाघको की विरचना की गई।

    1. आया वादिया वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.11 हे. मे से 0.01 हे. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम घोषित कराने की अधिकारी है।
    2. आया वादिया राजस्व अभिलेख मे अपने नाम इन्द्राज दुरस्ती कराने की अधिकारी है।
    3. आया प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात विरासत मे प्राप्त होने के कारण वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।
    4. अन्य अनुतोष।

4. विवाघक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादिया पर एवं विवाघक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है तदुपंरात प्रकरण को वास्ते साक्ष्य वादिया हेतु नीयत किया गया। वादिया द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया एवं अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो का समर्थन शपथ पत्र के माध्यम से किया गया।साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए विवाघक संख्या 1 व 2 का विवेचन एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता हे क्योकि उक्त दोनो विवाघक के समर्थन मे वादिया द्वारा एक ही साक्ष्य पेश की गई है वादिया द्वारा अपने बयान के चीफ मे शपथ पुर्वक कथन किया गया एंव वाद पत्र के शपथ पत्र मे अंकित तथ्यो का सही एवं सत्य होना स्वीकार किया गया एवं

अपने वाद पत्र के समर्थन मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श ए 1, नकल जमाबंदी संवत 2064 से 2067 प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी 2060, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी 2068 से 2071 एवं प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल को प्रदर्शित कराया गया वादिया द्वारा अपने जिरह मे भी वादग्रस्त आराजियात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया जाना एवं खरीद के बाद से ही कब्जा होना बताया गया है वादिया द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजियात के पडोसी भी सही सही होना बताया गया है जिसका खण्डन भी प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के जिरह मे कही भी कोई विपरीत बात सामने नही आई है जिससे वादिया के वांद पत्र के संबध मे संदेह की स्थिति पेदा हो सके। अत विवाघक संख्या 1 व 2 को वादिया अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रही है। विवाघक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के साथ भी कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये है और प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु बार बार अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन मे कोई साक्ष्य भी पेश नही की गई जिस कारण प्रतिवादीगण की साक्ष्य को बंद किया जाकर प्रकरण को वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया। प्रतिवादीगण अपने विवाघक को साबित करने मे असफल रहा है।

5. पत्रावली में तहसीलदार छोटीसादड़ी से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें बताया गया कि आराजी संख्या 2046 रकबा 0.10 हैक्ट0 के पूर्वी कोने पर वादीया का 105 वर्ग मीटर का बाग होकर वादीया द्वारा बाडे के चारों तरफ पत्थर की कच्ची दिवार बना रखी है बाड़े में वादीया का सामान पड़ा हुआ है एवं मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
6. दोराने विवेचन वादिया के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि पुर्व मे वादग्रस्त आराजियात आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.11 हे. स्थित थी परन्तु वादग्रस्त आराजियात मे अन्य सहखातेदार भी होने के कारण अन्य सहखातेदार द्वारा आराजियात को अन्तरित की जाने के कारण वर्तमान मे वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा जलोदाजागीर की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे. स्थित होकर उक्त आराजियात मे प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से कमी की जाकर रकबा 0.01 हे. आराजी वादिया के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः पक्षा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया।

साक्ष्य एवं दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि वादिया द्वारा उक्त विवादित आराजियात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया गया था एवं खरीद के बाद से ही वादिया के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है एवं वादिया के नाम राजस्व अभिलेख मे सहवन से अंकित होना रह गई है प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजीयात को विरासत से प्राप्त होना दर्शाया गया है परन्तु प्रतिवादीगण अपने प्रतिवादपत्र एवं साक्ष्य मे ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया जिससे की वादिया का वाद खारिज किया जा सके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानो को भी देखा जावे तो यह स्पष्ट है कि मोखिक साक्ष्य की अपेक्षा लिखित साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं सभी प्रकरणो मे लिखित साक्ष्य को ही उत्तम साक्ष्य की मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त तथ्यो को मददेनजर रखते हुए वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित होकर न्यायसंगत है। वादिया द्वारा दस्तावेज एवं बहस को मददेनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजियात आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे के प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से 0.01 हे. अपने नाम घोषित एंव इन्द्राज दुरस्ती करा राजस्व अभिलेख मे अपने नाम अंकित कराने हेतु साक्ष्य एवं दस्जावेज के माध्यम से वाद साबित करने मे सफल हुई है तथा वकील प्रतिवादी द्वारा आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे के प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से 0.01 हे. वादी के पक्ष में डिक्री करने की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये ऐसी सुरत मे वादिया का वाद सभी तथ्यो के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अत वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाके मौजा जलोदाजागीर प. ह. जलोदाजागीर की आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.10 हे. मे से प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से 0.01 हे. आराजी का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि उक्त आशय अनुसार प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से रकबा 0.01 हे. वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। डिक्री पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़